विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी , मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर-

प्रश्न		उत्तर
9(क)- क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में व्यावसायिक और कौशल विकास के प्रशिक्षण के नाम पर प्रशिक्षित करने वाले कितने ट्रेनर (अनुदेशक) हैं और उनकी योग्यता क्या है तथा उन्हें वेतन/मानदेय एवं अन्य सुविधायें देने के नाम पर कितनी धनराशि प्रदान की जाती है?		जनपद सिद्धार्थनगर में कौशल विकास के प्रशिक्षण हेतु कुल 16 ट्रेनर है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु निर्धारित व प्रख्यापित कॉमन नार्म्स के अनुसार प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टी0ओ0टी0) के वैध प्रमाण-पत्र धारक होना आवश्यक है। समस्त संचालित प्रशिक्षण सत्रों के प्रशिक्षकों के संबंध में उक्त प्राविधान सुनिश्चित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी कॉमन नार्म्स के सुसंगत अंश निम्नवत है:- "उपयुक्त अर्हता /अनुभव वाले प्रशिक्षक नियुक्ति किये जायें और प्रत्येक प्रशिक्षक, प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठयक्रम (टी0ओ0टी0) किया हुआ हो।" उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण लागत का भुगतान सीधे प्रशिक्षण प्रदाताओं को किया जाता है। अत: प्रशिक्षकों का टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा वहन किया जाता है। मिशन के द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर कोई धनराशि व्यय नहीं किया जाता है।
(ख)- जनपद सिद्धार्थनगर में विगत दो वर्षो में प्रशिक्षण के कितने कार्यक्रम आयोजित किये गये ?		जनपद सिद्धार्थनगर में विगत 02 वर्षो में 190 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये है।
(ग)- क्या प्रशिक्षण के नाम पर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है ?		जनपद सिद्धार्थनगर में किसी अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
(घ)- क्या उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जॉच कराकर जॉच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?		प्रश्न नही उठता।

कपिल देव अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
विभाग।